राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

कमांकः प. 18 (2) शिक्षा–4/2019 जयपुर, दिनाकः 12.04.2020

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान,
राजभवन, जयपुर।

विषयः– विश्वविद्यालयों की स्थगित परीक्षाओं के आयोजन एवं आगामी सत्र के संबंध में कार्ययोजना बावत।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निर्देशानुसार निवेदन है कि कोविड–19 वैश्विक महामारी के चलते उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों में शिक्षण, प्रशिक्षण का कार्य एवं सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। विद्यार्थियों को असुविधा एवं किसी प्रकार की हानि नहीं हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए स्थगित परीक्षाएं करवाने व आगामी सत्र प्रारंभ करने के संदर्भ में सुझाव देने हेतु विभाग द्वारा एक समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट संलग्न है।

समिति की अनुशंषाओं के आधार पर राज्य सरकार का अभिमत व अनुशंषाएं इस प्रकार हैं:–

1. कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रकोप को देखते हुए प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालयों के लिये शेष रही स्थगित परीक्षाओं का शीघ्र आयोजन संभव नहीं है। महीने, दो महीने तक स्थिति का आंकलन किए जाने की आवश्यकता है। विराम की इस अवधि में दिनांक 16 अप्रेल, 2020 से 31 मई, 2020 तक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश घोषित किये जावें।
2. विश्वविद्यालयों की स्थगित परीक्षाओं को परिस्थितियां अनुकूल होने पर, कोविड–19 से बचाव हेतु केन्द्र एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित करते हुए, जून, 2020 के प्रथम सप्ताह से चरणबद्ध तरीके से पहले स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन किया जावे एवं स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं सहित अन्य परीक्षाएं 15 जून के पश्चात आयोजित की जावें।
3. उपर्युक्त परीक्षाओं के विद्यार्थियों के विगत वर्षो के बकाया (ड्यू) प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं भी पृथक से उनकी मुख्य परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाने की विशेष व्यवस्था की जाए। स्नातक/स्नात्तकोत्तर अंतिम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएं भी उनकी मुख्य परीक्षा के साथ या उसके तुरन्त बाद कराई जाएँ।
4. सभी परीक्षाओं के समयबद्ध आयोजन एवं परिणाम यथाशीघ्र घोषित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कार्ययोजना बनाएँ। शिक्षकों से अपेक्षा की जावे कि वे उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तत्परता से एवं अविलम्ब संपादित करें।
5. नवीन अकादमिक सत्र 01 जून, 2020 से आरम्भ किया जा सकता है। परिस्थितियां अनुकूल होने पर, स्नातक प्रथम वर्ष व अन्य समकक्ष पाठ्यकमों, जिनमें प्रवेश हेतु अहर्कारी परीक्षा 12 वीं उत्तीर्ण है, में प्रवेश प्रकिया 15 जून, 2020 या 12 वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के बाद आरम्भ की जा सकती है। परीक्षा परिणाम विलम्ब से आने की स्थिति में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा

Scanned with CamScanner

स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की कक्षाओं में विद्यार्थियों को अस्थाई प्रवेश देकर कक्षाएं आरम्भ की जा सकती हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को विगत परीक्षाओं में प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाए।

6. प्रोफेशनल पाठ्यक्रम–एजुकेशन, विधि एवं एम.बी.ए.–की परीक्षाओं का आयोजन एवं उनके आगामी अकादमिक सत्रारंभ के लिए उनकी सम्बद्ध नियामक शीर्ष संस्थाओं–एन.सी.टी.ई., बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, ए.आई.सी.टी.ई. आदि के दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राजभवन के निर्देशों के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उनके अधीन सक्षम निकायों से पारित करवाने के पश्चात, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जाए तथा पाठ्यक्रमों को अद्यतन किये जाने का प्रयास भी किया जाए। संशोधित पाठ्यक्रमों एवं सेमेस्टर पद्धति को आगामी सत्र 2020–21 से कियान्वित किया जावे।
8. विद्यार्थियों में सेवा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आनंदम कार्यक्रम को सभी विश्वविद्यालयों में आरंभ किया जावे।

अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि कृपया कुलपति समन्वय समिति के निर्णयानुसार राजभवन द्वारा विश्वविद्यालयों को जारी किये गये कैलेण्डर की निरन्तरता में ग्रीष्मावकाश की तिथियों एवं नवीन सत्र प्रारंभ करने की तिथियों में उपर्युक्तानुसार परिवर्तन सहित समिति की अनुशंषाओं के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु राजभवन के स्तर से विश्वविद्यालयों को अनुमति/निर्देश जारी कराने का श्रम करावें ताकि विश्वविद्यालय समय रहते स्थगित परीक्षाओं, प्रवेश एवं आगामी सत्र के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर सकें।

भवदीय,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को महाविद्यालयों के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कुलसचिवगण, उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को विभाग के पत्र दिनांक 19.3.2020 की निरन्तरता में समिति की अनुशंषाओं की प्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

Scanned with CamScanner